

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 487]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2011/भाद्र 10, 1933

No. 487]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2011/BHADRA 10, 1933

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 655(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपंत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 22 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस राय से कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी और अपरिहार्य है, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों दो पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के प्रचालन से, जहां तक ऐसे प्रावधान दस वर्षों अथवा पांच वर्षों के लिए वैध यथास्थित साधारण छत्तीस पृष्ठों के पासपोर्ट को, जारी करने अथवा पुन: जारी करने और ऐसे पासपोर्ट पर प्रकीण सेवाएं प्रदान करने हेतु शुल्क के भुगतान से संबंधित हैं, छूट प्रदान करती है, नामत: :—

- (i) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के नियमित कर्मचारी और उसके पति/पत्नी और पन्द्रह वर्ष की आयु तक के बच्चे;
- (ii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सेवा-निवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी;
- (iii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में प्रतिनियुक्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी और पन्द्रह वर्ष की आयु तक के बच्चे, उसके केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में प्रतिनियुक्त रहने तक:

परन्तु ऐसे पासपोर्ट को जारी करने अथवा पुन: जारी करने और ऐसे पासपोर्ट पर कोई प्रकीर्ण सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क से ऐसी छूट की अनुमति उस व्यक्ति को नहीं होगी—

- (i) जिस पर कर्तव्य में लापरवाही अथवा कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही चल रही हो; अथवा
- (ii) जिसे सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त कर दिया गया हो अथवा सेवा से निष्कासित किया गया हो; अथवा
- (iii) जिस पर विभागीय जाँच कार्यवाही के दौरान कोई बढ़ी शास्ति लगाई गयी हो; अथवा
- (iv) जो प्रष्ट आचरण, आपराधिक कृत्य, सार्वजनिक निधि के दुर्विनियोजन के आरोप पर दाण्डिक कार्यवाही का सामना कर रहा
 हो; अथवा
- (v) जो भारत स्थित किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष हो।

िफा. सं. V. 1/401/39/99]

मुक्तेश कु. परदेशी, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2011

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of External Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 472(E), dated the 22nd May, 2000, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts the following persons from the operation of the provisions of Section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980, in so far as such provisions relate to the payment of fees for issue or reissue of an ordinary thirty-six pages passport to be valid for ten years or five years, as the case may be, and for rendering of miscellaneous services on such a passport, namely:—

- (i) regular employees of the Central Passport Organisation and their spouses and children up to the age of fifteen years;
- (ii) retired employees of the Central Passport Organisation and their spouses; and
- (iii) employees who come on deputation to the Central Passport Organisation and their spouses and children up to the age of fifteen years, during their deputation to the Central Passport Organisation:

Provided that such exemption of fees for issue or reissue of a passport and for rendering of any miscellaneous services on such a passport is not allowed to the person, who is—

- (i) undergoing departmental proceedings for dereliction of duty or misconduct; or
- (ii) compulsorily retired from the services or terminated from the services; or
- (iii) awarded any major penalty during Departmental Inquiry proceedings; or
- (iv) facing criminal proceedings on the allegations of corruption, criminal misconduct, misappropriation of public funds; or
- (v) convicted of any offence by any court in India.

[F. No. V.I/401/39/99]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. and Chief Passport Officer